

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी), आबूरोड


<p>वादी १ शे.मा.श.पं. ४७३ खगनाम जारी-आट कुई</p>	<p>बनाम</p>	<p>प्रतिवादी गण १) रक्षा पुत्र बीजा आट नि. कुई क. अ. २</p>
--	-------------	--

राजस्व वाद

संख्या..... ३४/2024

किस्म मुकदमा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा..... ३० राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955

ख	हुकम या कार्यवाही का विवरण मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
	<p>१/२५ यह राजस्व वाद वादी की ओर से प्रतिवादी गण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा ३० राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। अतः यह राजस्व वाद का पंजीयन किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन/नोटिस जारी किये जावें।</p> <p>पत्रावली आयन्दा तामिली हेतु दिनांक 10/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलेक्टर आबूरोड </p> <p> 10/10/24 जारी पत्र प्रतिवादी सं. २ व ३ को तामिली जारी, प्रतिवादी सं. २ को पुनः पत्र प्रतिवादी सं. एक सम्मन नामान कुनिदा द्वारा जारी कर कप के किया। कुई पत्रावली के प्रतिवादी सं. एक </p>	<p style="text-align: center;">2223</p>

वकील
सर्वी
नसी
है
नाम

कारिगान की शक्ति है दिनांक
गोपाल कौशिक

पुनः प्रत्यक्ष !

राजगुरु
(सर्वी... 102)
महाराज
सिद्ध
10/10/2024

पञ्जाबी लोग
प्रतिवादी सं. 2 की ओर है
की कारण से न Adv. न वकालतनामा
दिया गया। प्रतिवादी सं. 2 स्वयं
उपण। वादी क्वचन एवं उनके अधिकांश
उपास्थि। वादी न उपास्थि होकर
आदेशिका पर उक्त वाद को
कागै नही चलाया चाहने
का का कथन करते हुए उक्त
वाद को विद्रो कराने का
कथन किया है जिसे स्वीकार
कर उक्त वाद को जल्द विद्रो
खारीज किया जाता है।

कौशिक
सर्वी
सहायक
लेटर

पञ्जाबी महाराज सुपार
होकर नंबर 10 का है

सहायक कलेक्टर
अबूरोड (सिरोही)